

पटना में दिनांक-02 सितम्बर, 2026 बुधवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

कला एवं संस्कृति विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | बिहार विरासत विकास समिति, पटना में निदेशक, वित्त एवं लेखा के पद पर भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा अथवा बिहार वित्त सेवा के साथ बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के सेवानिवृत्त/सेवारत् पदाधिकारी का मनोनयन/नियुक्ति करने की स्वीकृति के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

कला एवं संस्कृति विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 2. | प्रो० अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति, पटना के वेतन-भत्ते एवं सेवा-शर्तों के निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

कला एवं संस्कृति विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार संग्रहालय, पटना एवं पटना संग्रहालय, पटना के सम्यक संचालन एवं रख-रखाव हेतु बिहार संग्रहालय समिति, पटना को गैर वेतन मद में कुल राशि ₹40,00,00,000/—(चालीस करोड़ रुपये) मात्र सहायक अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

गृह विभाग

(कारा)

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 4. | गृह विभाग(कारा) के अंतर्गत सीधी भर्ती से कक्षपाल के पद पर अनुसूचित जाति कोटि के अंतर्गत तांती/ततवा जाति के 14 नियुक्त कर्मियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरण के पश्चात अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए कुल 14 (चौदह) अधिसंख्य पदों (Supernumerary Post/Shadow Post) के सृजन के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | राज्य स्कीम अन्तर्गत "सात निश्चय-3" के तहत "बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ (फेडरेशन) लिमिटेड" के गठन एवं वित्तीय वर्ष 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 में कुल रुपये 14,79,85,000/—(चौदह करोड़ उनासी लाख पचासी हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

6. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत हिफर (बछिया-पाड़ी) पालन केन्द्रों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान रुपये 4,55,00,000/- (रुपये चार करोड़ पचपन लाख) सहित कुल परियोजना लागत रुपये 73,47,79,000/- (रुपये तिहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख उनासी हजार) की स्वीकृति तथा शेष राशि रुपये 68,92,79,000/- (रुपये अड़सठ करोड़ बानवे लाख उनासी हजार) का व्यय राज्य स्कीम सात निश्चय-3 के अंतर्गत किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
6. स्वीकृत।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

7. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 को बिहार राज्य में अंगीकार किये जाने के संबंध में।
7. स्वीकृत।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

8. बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, पटना को विघटित करने की स्वीकृति के संबंध में।
8. स्वीकृत।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

(मत्स्य निदेशालय)

9. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग (मत्स्य निदेशालय) नियंत्रणाधीन वाहन चालक (मूल कोटि) के कुल 64 पदों का चिन्हितीकरण एवं पुनर्गठन करने की स्वीकृति के संबंध में।
9. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक राज्य के सभी नगर निकायों के लिए प्राप्त होने वाले बेसिक अनुदान एवं परफॉर्मेंस अनुदान की कुल राशि ₹91,69,00,00,000/- रुपये (नौ हजार एक सौ उनहत्तर करोड़ रुपये) सहित पटना नगर निगम के लिए प्रस्तावित विशेष अवसंरचना घटक और शहरीकरण प्रीमियम हेतु प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि भारत सरकार से विमुक्ति के पश्चात राज्य के नगर निकायों को जनसंख्या एवं स्व-स्रोत राजस्व (ओएसआर) के आधार पर 90:10 के अनुपात में आवंटित करने, और विशेष अवसंरचना घटक अन्तर्गत योजना की समीक्षा एवं स्वीकृति हेतु क्रमशः राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (एस०एच०पी०एस०सी०) एवं राज्यस्तरीय तकनीकी समिति (एस०एल०टी०सी०) के गठन की स्वीकृति के संबंध में।
10. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिये मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। 11. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

12. राज्य के स्वामित्व वाली सड़कों, पुलों तथा अन्य संरचनाओं पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण एवं अनुश्रवण कार्य के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करने सहित, सड़क उपयोगकर्ता शुल्क संरचना तैयार करने, सड़क उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह अनुबंधो/टी.ओ.टी, परियोजनाओं के नेटवर्किंग/ बंडलिंग तथा अन्य संबद्ध कार्यों के लिए परामर्श सेवाएं प्राप्त करने हेतु कुल 3094.715 लाख (तीस करोड़ चौरानबे लाख इकहत्तर हजार पाँच सौ) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 12. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

13. नई राजधानी पथ प्रमंडल अंतर्गत नेहरू पथ (डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक) के चौड़ीकरण कार्य हेतु कुल 3980.00 लाख (उनचालीस करोड़ अस्सी लाख) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 13. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

14. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी-सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-56 (रेलवे कि०मी०-104/8-9) के बदले सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी) कार्य अन्तर्गत पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु राज्यांश राशि ₹10049.66 लाख (रुपये सौ करोड़ उनचास लाख छियासठ हजार) तथा रेलवे अंश ₹992.80 लाख (रुपये नौ करोड़ बानवे लाख अस्सी हजार) सहित कुल लागत राशि ₹11042.46 लाख (रुपये एक सौ दस करोड़ बयालीस लाख छियालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 14. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

15. राज्य में ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने में अनुमानित व्यय ₹2,75,00,000/- (दो करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति के संबंध में। 15. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

16. भारत छोड़ो आंदोलन के निर्भीक आंदोलनकारी अमर शहीद रामफल मंडल की शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को सीतामढ़ी जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने के संबंध में। 16. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

17. स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं चम्पारण सत्याग्रह के सूत्रधार प० राजकुमार शुक्ल की जयंती प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को पश्चिमी चम्पारण जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने के संबंध में।

17. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. सीवान जिलान्तर्गत अंचल-मैरवा, मौजा-मुड़ियारी, थाना सं०-82, खाता सं०-401, खेसरा सं०-1802 की कुल प्रस्तावित रकवा-7.44 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि पर 220/132/33 के०वी० ग्रीड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि-3,15,21,420/- (तीन करोड़ पन्द्रह लाख इक्कीस हजार चार सौ बीस रुपये) मात्र के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

18. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. अरवल जिलान्तर्गत अंचल-करपी, मौजा-बेलखरा, थाना सं०-112 खाता सं०-261, खेसरा सं०-2738 एवं 2675 तथा खाता सं०-262, खेसरा सं०-2674 की कुल प्रस्तावित रकवा-25 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I), किस्म-परती कदीम गैरमजरूआ मालिक एवं गैरमजरूआ आम भूमि पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

19. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. पटना जिलान्तर्गत दानापुर अंचल के मौजा-धनौत, थाना नं०-20 में विभिन्न खाता एवं खेसरा की रकवा-1.105 एकड़ मौजा-जलालपुर, थाना नं०-22 में विभिन्न खाता एवं खेसरा की रकवा-0.395 एकड़ एवं मौजा-रुकनपुरा, थाना नं०-18 में विभिन्न खाता एवं खेसरा की रकवा-0.0587 एकड़ सहित कुल रकवा-1.5587 एकड़ (भूमि विवरणी परिशिष्ट-I संलग्न) रेल मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व की भूमि एम०वी०आर० (वर्ष 2014 के अनुसार) पर कुल परिगणित राशि मो०-10,31,51,600/- (दस करोड़ एकतीस लाख एकावन हजार छः सौ) रुपये मात्र का दीघा स्थित सड़क-सह-रेल पुल निर्माण के लिए रेलवे को हस्तान्तरित जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की रकवा-17.085 एकड़ भूमि के लिए परिगणित राशि मो०-64,27,06,957/- (चौसठ करोड़ सताईस लाख छः हजार नौ सौ सत्तावन) रुपये में से सामंजन के आधार पर जवाहर लाल नेहरू पथ मुख्य सड़क से दक्षिण पहुंच पथ के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

20. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

21. मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अंचल-गायघाट, मौजा-जारंग, थाना सं०-163, खाता सं०-3236, खेसरा सं०-6940 की कुल प्रस्तावित रकवा-3.15 एकड़ गैरमजरूआ बिहार सरकार की भूमि पर 132/33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि-1,98,45,000/- (एक करोड़ अठानवे लाख पैतालीस हजार रुपये) मात्र के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

21. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

22. बेगूसराय जिलान्तर्गत अंचल-बरौनी के मौजा-मल्हीपुर, थाना सं०-503, खाता सं०-261, खेसरा सं०-890 एवं 891 का रकवा क्रमशः 528 एकड़ एवं 172 एकड़ सहित कुल प्रस्तावित रकवा-700 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

22. स्वीकृत।

विधि विभाग

23. व्यवहार न्यायालयों के कर्मचारियों को प्रोन्नति दिये जाने के निमित्त उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-III) (वेतन स्तर-4) के स्वीकृत 7527 पदों में से 1478 पदों को उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-II) (वेतन स्तर-6) एवं 1098 पदों को उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-I) (वेतन स्तर-7) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पदों को उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-III) (वेतन स्तर-4) का 4951 पद, उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-II) (वेतन स्तर-6) का 1478 पद एवं उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड-I) (वेतन स्तर-7) का 1098 पद के रूप में पुनर्गठित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

23. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

24. वित्तीय वर्ष 2026-27 से दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय अंतर्गत मानसिक रूप से विकृष्ट/रूग्ण महिलाओं एवं पुरुषों हेतु क्रमशः पूर्णियाँ तथा गयाजी में 50-50 की आवासीय क्षमता वाले दो अतिरिक्त आसरा गृह संचालित किये जाने एवं इसके निमित्त प्रति आसरा गृह प्रतिवर्ष आवर्ती मद में रु० 62,26,200/- (बासठ लाख छब्बीस हजार दो सौ रुपये) तथा अनावर्ती मद में रु० 9,60,000/- (नौ लाख साठ हजार रुपये) की दर से दो गृहों के लिए कुल राशि-रु० 1,43,72,400/- (एक करोड़ तेतालीस लाख बहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र की वार्षिक व्यय की स्वीकृति।

24. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

25. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय स्थापना में कार्यालय परिचारी के पदों का पुनर्गठन के फलस्वरूप कार्यालय परिचारी के पूर्व स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 16 पदों का सृजन के संबंध में। 25. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

26. श्रीमती पूनम सिन्हा, निदेशक-सह-प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय का दिनांक-31.08.2026 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक-01.09.2026 से एक वर्ष के लिए बिहार विधान सभा सचिवालय में निदेशक के पद पर संविदा आधारित नियोजन करने अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति/वेतनमान सहित उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बिहार विधान सभा सचिवालय में निदेशक के पद पर निर्धारित शर्तों के तहत संविदा आधारित नियोजन करने की स्वीकृति के संबंध में। 26. स्वीकृत।

उच्च शिक्षा विभाग

27. उच्च शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-1202, दिनांक-19.08.2026 को निरस्त करने, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31) तक विस्तारित करने तथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ₹4,00,000/- (चार लाख) रुपये तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया एवं व्यवस्था पूर्ववत् लागू रखने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। 27. स्वीकृत।